

फॉर्म

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2024-25

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उसे सेवा का नाम जिसमें वह हो : अफजल हुसैन
3. वर्तमान वेतन : 31,854/-

2. वर्तमान धारित पद : निरीक्षक नापतोल
4. अगली वेतन वृद्धि की तारीख :

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थिति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य*	यदि स्वयं के नाम पर ना हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया; पट्टा**, बंधक, विरासत तथा भेंट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नगर परिषद् - सरवानिया महाराज तह - जावद जिला - नीमच (म.प्र.)	1. गृह (वार्ड नं. 08)	—	30,00,000/- (लगभग)	जाकिर हुसैन (पिता)	पैतृक भूमि	—nil—	—
	2. गृह (वार्ड नं. 3)	—	20,00,000/- (लगभग)	जाकिर हुसैन (पिता)	पैतृक भूमि	—nil—	—
	—	कृषि भूमि (13 बीघा)	30,00,000/- (लगभग)	जाकिर हुसैन (पिता) हुसैन बानो (माता)	पैतृक भूमि	2,50,000/- (लगभग)	—

जहां लागू न हो काट दीजिए

- *ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
**इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

अफजल हुसैन
30-01-25
हस्ताक्षर

निरीक्षक
(विधिक माप विज्ञान)

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अचल संपत्ति प्रतिवेदन के ब्यौरे दें